



हरियाणा को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा।

भगवंत मान, मुख्यमंत्री, पंजाब



राहुल गांधी की 'नेतागिरी' में कांग्रेस पिछले 11 वर्ष में 50 से ज्यादा चुनाव हारी।

केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली। बुधवार • 30 अप्रैल • 2025

सहारा

www.rashtriyasahara.com

DP/5400/Crime/2025

रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र 'सी'

[दिवाला और ऋणशोध अक्षमता (कार्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के लिए ऋणशोध अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के तहत]

श्री अशोक महिन्द्रू (एडवांस सर्फेक्टर्स इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिनांक-28.04.2025 को अपार्टमेंट 702, टॉवर 3, विपुल बैलमोर्ट, सेक्टर 53, गोलफ कोर्स रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122011 में रहने वाले श्री अशोक महिन्द्रू के विरुद्ध ऋणशोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एतद्वारा श्री अशोक महिन्द्रू के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे 07.05.2025 को या उससे पहले ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी, ज्ञान चंद नारंग, कार्यालय पता : 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के पास प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।

लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07.05.2025 होगी। लेनदार अपना दावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अथवा दस्ती अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कुरियर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का अतिरिक्त विवरण	
1. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री ज्ञान चंद नारंग IBBI/PA-002/IP-N00362/2017-18/11031 एफएफ वैधता : 31.12.2025 तक
2. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का पता और ई-मेल आईडी और फोन नं., जैसा कि IBBI के साथ पंजीकृत है	पता : बी-32, फ्रेड्स टावर, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 फोन : 8860040302 ईमेल : narangcg58@gmail.com
3. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता, ई-मेल आईडी और फोन नं.	पता : 409, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल : pg.adv.surf@outlook.com/insolvency@arck.in फोन : 011-45101111 / 40078344

नोट : फर्जी या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 अथवा किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

दिनांक : 30.04.2025 स्थान : नई दिल्ली (हस्ता./-) ज्ञान चंद नारंग ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र 'सी'

[दिवाला और ऋणशोध अक्षमता (कार्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के लिए ऋणशोध अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के तहत]

श्री अतुल महिन्द्रू (एडवांस सर्फेक्टर्स इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिनांक-28.04.2025 को बी-1503, आईआईटीआर, सेक्टर 80, गुरुग्राम-122102 में रहने वाले श्री अतुल महिन्द्रू के विरुद्ध ऋणशोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एतद्वारा श्री अतुल महिन्द्रू के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे 07.05.2025 को या उससे पहले ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी, ज्ञान चंद नारंग, कार्यालय पता : 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के पास प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।

लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07.05.2025 होगी। लेनदार अपना दावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अथवा दस्ती अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कुरियर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का अतिरिक्त विवरण	
1. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री ज्ञान चंद नारंग IBBI/PA-002/IP-N00362/2017-18/11031 एफएफ वैधता : 31.12.2025 तक
2. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का पता और ई-मेल आईडी और फोन नं., जैसा कि IBBI के साथ पंजीकृत है	पता : बी-32, फ्रेड्स टावर, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 फोन : 8860040302 ईमेल : narangcg58@gmail.com
3. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता, ई-मेल आईडी और फोन नं.	पता : 409, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल : pg.adv.surf@outlook.com/insolvency@arck.in फोन : 011-45101111 / 40078344

नोट : फर्जी या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 अथवा किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

दिनांक : 30.04.2025 स्थान : नई दिल्ली (हस्ता./-) ज्ञान चंद नारंग ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी

आधानयम, थाना मंगल पुरी, दिल्ली के आरोपी उक्त दीपक को उक्त शिकायत का जवाब देने के लिए दिनांक 22.07.2025 को या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

आदेशानुसार सुश्री रीतिका जैन एलडी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कमरा नं. 105, उत्तर पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली DP/5376/OD/2025 (अदालती मामला)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राजेश कुमार, पुत्र: श्री मोहन लाल, पता: 2092, मुकीमपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 ने CC No. 509694/16, U/s 138 NI Act, पुलिस थाना सब्जी मंडी, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उसे पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त राजेश कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त राजेश कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि CC No. 509694/16, U/s 138 NI Act, पुलिस थाना सब्जी मंडी, दिल्ली के अभियुक्त राजेश कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 31.05.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार सुश्री देशना गोलेछा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एन.आई. एक्ट)-07 केंद्रीय जिला, कमरा नं. 507, एक्सटेंशन ब्लॉक तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली DP/5428/N/2025

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र 'सी'

[दिवाला और ऋणशोध अक्षमता (कार्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के लिए ऋणशोध अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के तहत]

श्री आशुतोष महिन्द्रू (एडवांस सर्फेक्टर्स इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिनांक-28.04.2025 को अपार्टमेंट 702, टॉवर 3, विपुल बैलमोर्ट, सेक्टर 53, गोलफ कोर्स रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122011 में रहने वाले श्री आशुतोष महिन्द्रू के विरुद्ध ऋणशोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एतद्वारा श्री आशुतोष महिन्द्रू के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे 07.05.2025 को या उससे पहले ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी, ज्ञान चंद नारंग, कार्यालय पता : 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के पास प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।

लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07.05.2025 होगी। लेनदार अपना दावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अथवा दस्ती अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कुरियर द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का अतिरिक्त विवरण	
1. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री ज्ञान चंद नारंग IBBI/PA-002/IP-N00362/2017-18/11031 एफएफ वैधता : 31.12.2025 तक
2. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी का पता और ई-मेल आईडी और फोन नं., जैसा कि IBBI के साथ पंजीकृत है	पता : बी-32, फ्रेड्स टावर, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 फोन : 8860040302 ईमेल : narangcg58@gmail.com
3. ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता, ई-मेल आईडी और फोन नं.	पता : 409, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल : pg.adv.surf@outlook.com/insolvency@arck.in फोन : 011-45101111 / 40078344

नोट : फर्जी या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 अथवा किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

दिनांक : 30.04.2025 स्थान : नई दिल्ली (हस्ता./-) ज्ञान चंद नारंग ऋणशोध अक्षमता ट्रस्टी

यागेन्द्र यादव (जमानतदार) नीलामी की तारीख गलत तरीके से 30 अप्रैल 2025 बताई गई है जिसे 30 मई 2025 पढ़ा जाए।

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाउंडेशन लिमिटेड

ई-नीलामी सूचना

(20 एमवीए ट्रांसफार्मर से निकाला गया कॉपर स्क्रैप (रिप्ट/बायरी) मेसर्स पंजाब स्टील कोर्पिंग एंड एंजिनीयर्स के 20 एमवीए ट्रांसफार्मर से निकाला गया कॉपर स्क्रैप (रिप्ट/बायरी) का निपटारा 'प्रति किलो ग्राम आधार' पर शुद्ध रूप से 'जैसा है जैसा है' आधार पर करने के लिए इच्छुक खरीदारों से ई-नीलामी फार्म आमंत्रित है। निरीक्षण मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-15, इंडस्ट्रियल एस्टेट, परापुर, मेरठ में - श्री एच के मल्होत्रा - कॉन्टेनर नंबर 9837007408 से मेज का समय पूर्व निधारित कर 30-04-2025 से 06-05-2025 तक किया जा सकता है। ई-नीलामी 07-05-2025 को आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी फार्म के लिए, सल्वेज सेटलर्स प्राइवेट लिमिटेड (मिलामकार) पता - एफएफ-20 एवं 22, पूर्व ओग्रेस, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतपुरा, नई दिल्ली-110034 की सुश्री साजिदा बेग से मोबाइल - 81780 27913 पर सम्पर्क कर अथवा वेबसाइट : www.Salvage Settlers.com से डाउनलोड करें। ई-नीलामी फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 07-05-2025 को दोपहर 12.30 से पूर्व है।

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 5 नियम 20 के तहत सूचना वाद संख्या एफएओ (ओएस) (कम) 243/2024 एवं सीएम नंबर 65226/2024 सीएस (कम.) संख्या 741/2024 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 104 के साथ पठित दिल्ली उच्च न्यायालय नियमावली, 1966 की धारा 10 के तहत अपील, इच्छुक बैंक एजी ...अपीलकर्ता

बनाम सुश्री नलिनी गुप्ता एवं अन्य ...प्रतिवादी सूचना सेवार्थ : प्रतिवादी- मेसर्स रॉयल ट्रेडिंग कम्पनी न.2-इसके स्वामी श्री निखिल गुप्ता के मायम से, उपलब्ध पता : -19/173, सराय बस्ती, पुरानी रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110035 nikhilguptaroyal1981@gmail.com जबकि उपरोक्त अपीलकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 104 के साथ पठित दिल्ली उच्च न्यायालय नियमावली, 1966 की धारा 10 के तहत अपील प्रस्तुत की है, जो 07-11-2024 को न्यायालय के समक्ष और अन्य वाद की तिथियों पर प्रस्तुत की गई थी, जब न्यायालय ने आपको सूचना जारी करने का आदेश दिया था। और चूंकि न्यायालय के सेलुटि हेतु यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से तामील नहीं की जा सकती, इसलिए प्रकाशन के मायम से आपको नोटिस जारी किया जाता है। यदि आप उपरोक्त अपील और आवेदन का बचाव करना चाहते हैं, तो आप अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से या आपके द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत नियुक्त अधिकारता के मायम से 25.05.2025 को समक्ष संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। यदि आपकी ओर से आप, आपका वकील या कानून द्वारा उक्त अपील में आपकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति उक्त तिथि को उपस्थित नहीं होता है, तो उक्त अपील और आवेदन की सुनवाई की आगामी तिथि की कोई और सूचना आपको नहीं दी जाएगी और उस पर आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय सुनवाई की जाएगी और उस पर निर्णय किया जाएगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मुहर से दिनांक 17.02.2025 को दिया गया।

सहायक निबन्धक (सिविल) कृते महानिबन्धक

एसोशियल्स का मिशन : डा. श्रीनिवास

नई दिल्ली (एसएनबी)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक प्रो. डा. एस श्रीनिवास ने कहा कि प्रारंभिक पहचान, बेहतर परिणाम-यही हमेटोलॉजी एसोशियल्स का मिशन है। इसमें जागरूकता नियमित उपचार ही रोगी के जीवन को सामान्य लोगों की श्रेणी में ला सकता है।

इस मौके पर डा. श्रीनिवास ने हमेटोलॉजी एसोशियल्स-आकांक्षी चिकित्सकों के लिए एक नया मोर्चा नामक पुस्तक का विमोचन किया।

इस मौके पर संकाय, सामान्य चिकित्सक प्रतिनिधि शामिल हुए। मेडिसिन विभाग के पूर्व चीफ प्रो आनंद मालवीय और प्रो. प्रशांत कौशिक द्वारा सह लिखित यह पुस्तक विशेष रूप से प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों व सामान्य चिकित्सकों के लिए डिजाइन की गई है। यह आमवांती और मस्कुलोस्केलेटल रोगों (आरएमडी) की प्रारंभिक पहचान के लिए एक संरचित व व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, उन्हें तीन प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करता है।

नया मोर्चा नामक पुस्तक का हुआ विमोचन

इसके तहत इम्यूनोइन्फ्लेमेटरी रोग, यांत्रिक और संरचनात्मक क्षति से संबंधित रोग, बायोसाइकोसोशल मॉडल पर आधारित दर्द सिंड्रोम है। पुस्तक का उद्देश्य पहले संपर्क चिकित्सकों को रोगियों को तेजी से वर्गीकृत करने और उन्हें सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ के पास निर्देशित करने के लिए सशक्त बनाना है। चाहे वह रूमेटोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन, पुनर्वास विशेषज्ञ या दर्द प्रबंधन टीम हो। लेखकों को उम्मीद है कि यह पहल प्रारंभिक निदान को बढ़ाएगी, अनावश्यक देरी और लागत को कम करेगी और आरएमडी वाले रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करेगी।

समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मिला दिल्ली रत्न अवार्ड

नई दिल्ली (एसएनबी)। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मंगलवार को महाराष्ट्र सदन में आयोजित कार्यक्रम में 11वें दिल्ली रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत मंच ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर 37वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केजी बालाकृष्णन व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुए। इसके साथ ही बनारस के जिला जज अनिल कुमार यादव, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के पूर्व प्रेजिडेंट आदिश अग्रवाल, एडवोकेट रोहित मुंजल व प्रकाश चंद्र अग्रवाल डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। यह जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष डा. प्रशांत द्विवेदी ने दी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाल के पीएस डॉक्टर मनीष शंकर राव गवई, बज लाउड मीडिया, निशा खान रुद्र इवेंट्स अंजलि कंबोज, दिल्ली का प्रतिनिध सुमित भोजव, एसोसिएट्स संतोष कुमार चौधरी रहे। इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।



भारत मंच के चेयरपर्सन डॉक्टर एमए खान ने बताया कि इस कार्यक्रम में एस्ट्रोलॉजर डीआर रेखा बांका, नवजीवन मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, विद्या बाल भवन स्कूल के प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, एडवोकेट मोहम्मद साजिद, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद अली, एडवोकेट एम कयामुद्दीन, होनी समीरुद्दीन, मुस्कान फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर भारत भूषण आदि को 11वें दिल्ली रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।